



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
वाद संख्या :- 10749/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T2019412480110749
आर० एस० वी० एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अन्तर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

5000-00 का चालान एवं स्टाम्प शुल्क रू० 58848-00 का स्टाम्प शुल्क आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम सफदरगंज परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी 1426-1431 फ० की खाता संख्या 00804, 00043, 00351, 00042, 000529 पर आर० एस० वी० एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष/प्रबन्धक रामसजीवन वर्मा पुत्र स्व० जगन्नाथ प्रसाद वर्मा के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित भूमि खाता संख्या 00604 गाटा संख्या 718 रकबा 0.228हे० में से 0.150हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 0043 गाटा संख्या 707मि० रकबा 0.321हे० माल गुजारी रू० 12.85 व खाता संख्या 00351 गाटा संख्या 720 रकबा 0.424हे० माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 00042 गाटा संख्या 717 रकबा 0.163हे० माल गुजारी रू० 7.46 व खाता संख्या 00529 गाटा संख्या 707मि० रकबा 0.367हे० में से 0.168हे० माल गुजारी परता खाता कुल 05 किता कुल रकबा 1.226हे०को धारा-80(2) उ०प्र० रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ०प्र०रा०सं०-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उ०प्र०रा०सं०-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

दिनांक- 14/8/19

(अभय कुमार पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी
नवाबगंज-बाराबंकी।

53
19/8/19
3-7-19
345 शब्द लक्ष्मी
20/8/19

द्वारा प्रति
31/8/19
20/8/19

अध्यक्ष
आर.एस.वी. कॉलेज
मण्डल परामेडिकल
सफदरगंज